रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 30] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 18, 2018/पौष 28, 1939
No. 30] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 18, 2018/PAUSHA 28, 1939

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 39(अ).—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 24 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्द्वारा पासपोर्ट नियम, 1980 के संशोधन के विस्तार में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तिथि:—

(1) इन नियमों को पासपोर्ट (प्रथम संशोधन) नियम, 2018 कहा जाएगा।

(2) ये नियम आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. पासपोर्ट नियम, 1980 में, अनुसूची III में, "अनुच्छेद IV- **आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज**" के अंतर्गत परिच्छेद (ग) के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:—

"(ग) तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट का बारी के बिना जारीकरण

(क) यदि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु का एक आवेदक तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो आवेदक, आधार कार्ड/पत्र/12 अंकों की आधार संख्या युक्त ई. आधार/भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी नामांकन पर्ची पर छपी 28 अंकों की आधार नामांकन संख्या, पासपोर्ट नियम, 1980 के अनुबंध-ङ में निर्धारित स्वयं के संबंध में उद्घोषणा और निर्धारित तत्काल शुल्क के अतिरिक्त, निम्न में से कोई दो दस्तावेज जमा करेगा, अर्थात:—

(i) फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.)

(ii) राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र

(iv) हथियार लाइसेंस

(v) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश

(vi) स्वयं का (रद्द न किया हुआ और अक्षत) पासपोर्ट

(vii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड

(viii) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक

(ix) शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त विद्यार्थी पहचान पत्र;

(x) वाहन चालक लाइसेंस (वैध हो एवं आवेदन जमा किए जाने वाले राज्य की न्यायिक अधिकारिता के भीतर हो)

(xi) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाण पत्र; और

(xii) राशन कार्ड ;

(ख) यदि तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट की आवश्यकता 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के लिए हो तो आवेदक, आधार कार्ड/पत्र/12 अंकों की आधार संख्या युक्त ई. आधार/भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी नामांकन पर्ची पर छपी 28 अंकों की आधार नामांकन संख्या और निर्धारित तत्काल शुल्क के अतिरिक्त, निम्नलिखित में से कोई एक दस्तावेज जमा करेगा, अर्थात:—

(i) शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त विद्यार्थी पहचान पत्र;

(ii) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाण पत्र;

(iii) राशन कार्ड;

(ग) तत्काल योजना के अंतर्गत बारी के बिना पासपोर्ट चाहने वाले सभी आवेदकों को यथा निर्धारित आवेदन, दस्तावेज और शुल्क जमा कराने का सुझाव दिया जाता है;

(घ) तत्काल योजना के अंतर्गत बारी के बिना पासपोर्ट जारीकरण के लिए अत्यावश्यकता के किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है;

(ङ) तत्काल योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारीकरण के सभी मामलों में पुलिस जांच पासपोर्ट जारीकरण के बाद की जाएगी ।

(च) तत्काल योजना के सभी मामलों में, जिनमें आवेदक अतिरिक्त तत्काल शुल्क का भुगतान कर रहा है, पासपोर्ट, पासपोर्ट प्राधिकरण की संतुष्टि के अधीन, प्राथमिकता के साथ, आवेदन जमा किए जाने की तिथि से तीन कार्यदिवसों की अवधि में जारी किए जाएंगे ।

(3) पासपोर्ट नियम, 1980 में, अनुसूची III में, परिच्छेद (ग) के बाद निम्नलिखित अनुच्छेद को सन्निविष्ट किया जाएगा, अर्थात:—

"(घ) सामान्य योजना के अंतर्गत अतिरिक्त तत्काल शुल्क का भुगतान किए बगैर नए पासपोर्ट का बारी के बिना जारीकरण

(क) यदि 18 वर्ष और इससे अधिक आयु का एक आवेदक सामान्य योजना के अंतर्गत नए पासपोर्ट के लिए आवेदन करता है और बगैर अतिरिक्त तत्काल शुल्क का भुगतान किए बारी के बिना पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो वह, आधार कार्ड/पत्र/12 अंकों की आधार संख्या युक्त ई. आधार/भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी नामांकन पर्ची पर छपी 28 अंकों की आधार नामांकन संख्या एवं पासपोर्ट नियम, 1980 के अनुबंध-ङ में निर्धारित स्वयं के संबंध में उद्घोषणा के अतिरिक्त, निम्न में से कोई दो दस्तावेज जमा करेगा, अर्थात:—

(i) फोटो युक्त मतदाता पहचान पत्र (ई.पी.आई.सी.)

(ii) राज्य/केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों या सार्वजनिक कंपनियों द्वारा जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र ;

(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ;

(iv) हथियार लाइसेंस ;

IndiaCode

(v) पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन पुस्तिका/पेंशन भुगतान आदेश, भूतपूर्व सैनिक की विधवा अथवा आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश;

(vi) स्वयं का (रद्द न किया हुआ और अक्षत) पासपोर्ट ;

(vii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड ;

(viii) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक ;

(ix) शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त विद्यार्थी पहचान पत्र ;

(x) वाहन चालक लाइसेंस (वैध हो एवं आवेदन जमा किए जाने वाले राज्य की न्यायिक अधिकारिता के भीतर हो)

(xi) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाण पत्र; और

(xii) राशन कार्ड

(ख) यदि सामान्य योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति पासपोर्ट के लिए पहली बार आवेदन करता है और बगैर अतिरिक्त तत्काल शुल्क का भुगतान किए बारी के बिना पासपोर्ट प्राप्त करना चाहता है तो वह, आधार कार्ड/पत्र/12 अंकों की आधार संख्या युक्त ई. आधार/भारत के विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) द्वारा जारी नामांकन पर्ची पर छपी 28 अंकों की आधार नामांकन संख्या के अतिरिक्त, निम्नलिखित तीन में से कोई एक दस्तावेज जमा करेगा, अर्थात:

(i) शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी फोटो युक्त विद्यार्थी पहचान पत्र;

(ii) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जारी जन्म प्रमाण पत्र; और

(iii) राशन कार्ड

(ग) इस योजना के अंतर्गत पासपोर्ट जारीकरण के सभी मामलों में पुलिस जांच पासपोर्ट जारीकरण के बाद की जाएगी ।

(घ) इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक द्वारा किसी अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा ।

(ङ) यदि ऐसा कोई आवेदक निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान कर पासपोर्ट तत्काल योजना के अंतर्गत प्राप्त करना चाहता है तो पासपोर्ट जारीकर्ता प्राधिकरण द्वारा आवेदन पर कार्यवाही तत्काल योजना के अंतर्गत की जाएगी क्योंकि तत्काल योजना के अंतर्गत आवेदन करने वाले आवेदकों को मुलाकात समय लेने और पासपोर्टों की छपाई में प्राथमिकता दी जाएगी ।

[फा. सं. VI/401/1/4/2013]

अरुण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव (पी.एस.पी.) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

पाद टिप्पणी: पासपोर्ट नियम, 1980 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 691(अ) के द्वारा दिनांक 11 दिसंबर, 1980 को प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. 1366(अ), दिनांक 03 नवंबर, 2017 के द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2018

G.S.R. 39(E).—In exercise of the powers conferred by section 24 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, hereby makes the following rules further to amend the Passports Rules, 1980, namely:—

1. Short title and commencement:—

(i) These rules may be called the Passports (1st Amendment) Rules, 2018.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Passports Rules, 1980, in Schedule III, under "Section IV-DOCUMENTS TO BE ATTACHED WITH THE APPLICATION" for paragraph (C) the following shall be substituted, namely:—

"(C) OUT OF TURN ISSUE OF PASSPORT UNDER TATKAAL SCHEME

(a) If an applicant of the age of 18 years and above desires to obtain a passport under the Tatkaal Scheme, the applicant in addition to the Aadhaar Card/ letter/ e-Aadhar containing the 12 digit Aadhaar number/28-digit Aadhar Enrolment ID printed on the Aadhar Enrolment Slip issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI), a self-declaration prescribed in Annexure–E of the Passport Rules, 1980, and the prescribed Tatkaal fee, shall submit any two of the following documents, namely:—

(i) Electors Photo Identify Card (EPIC)

(ii) Service Photo Identity Card issued by State/Central Government, Public Sector Undertakings, local bodies or Public Limited Companies

(iii) Scheduled Caste/Scheduled Tribe/Other Backward Class Certificate

(iv) Arms Licence

(v) Pension Document such as Ex-servicemen's Pension Book/Pension Payment order, ex-servicemen's widow/dependent Certificate, Old Age Pension Order

(vi) Self-Passport (unrevoked and undamaged)

(vii) Permanent Account Number (PAN) Card

(viii) Bank/Kisan/Post Office Passbook

(ix) Student Photo Identity Card issued by an Educational Institution;

(x) Driving Licence (valid and within the jurisdiction of State of submission of applicant)

(xi) Birth Certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act; and

(xii) Ration Card;

IndiaCode

(b) If a passport under the Tatkaal Scheme is required for a person below 18 years, the applicant in addition to the Aadhaar Card/letter/e-Aaadhar containing the 12 digit Aadhaar number/28-digit Aadhar Enrolment ID printed on the Aadhar Enrolment Slip, and the prescribed Tatkaal fee, shall submit any one out of the following documents, namely:—

(i) Student Photo Identity Card issued by an Educational Institution;

(ii) Birth Certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act; and

(iii) Ration Card;

(c) All applicants seeking a passport out of turn under the TATKAAL scheme are advised to submit their applications, documents and fee as prescribed;

(d) No proof of urgency is required for out of turn issue of passport under Tatkaal scheme;

(e) Post Police Verification shall be done in all the cases of issue of passport under Tatkaal scheme.

(f) In all the cases of Tatkaal scheme where the applicant is paying an additional Tatkaal fee, the passport, subject to the satisfaction of the Passport Authority, shall preferably be issued within a period of three working days from the date of submission of application.

(3) In the Passports Rules, 1980, in Schedule III, after paragraph (C), the following paragraph shall be inserted, namely:—

"(D) OUT OF TURN ISSUE OF FRESH PASSPORT UNDER NORMAL SCHEME WITHOUT PAYING ANY ADDITIONAL TATKAAL FEE

(a) If an applicant of the age of 18 years and above applies for a new passport under the Normal scheme and desires to obtain the passport on out of turn basis without paying the additional Tatkaal fees, he shall submit in addition to the Aadhaar Card/letter/e-Aaadhar containing the 12 digit Aadhaar number/28-digit Aadhar Enrolment ID printed on the Aadhar Enrolment Slip issued by the Unique Identification Authority of India

(UIDAI), and a self-declaration prescribed in Annexure–E of the Passport Rules, 1980, any two of the following documents, namely:—

(i) Electors Photo Identify Card (EPIC)

(ii) Service Photo Identity Card issued by State or Central Government, Public Sector Undertakings, local bodies or Public Limited Companies;

(iii) Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/Other Backward Class Certificate;

(iv) Arms Licence;

(v) Pension Document such as Ex-servicemen's Pension Book or Pension Payment order, ex-servicemen's widow or dependent Certificate, Old Age Pension Order;

(vi) Self-Passport (unrevoked and undamaged);

(vii) Permanent Account Number (PAN) Card;

(viii) Bank/Kisan/Post Office Passbook;

(ix) Student Photo Identity Card issued by an Educational Institution;

(x) Driving Licence (valid and within the jurisdiction of State of submission of applicant);

(xi) Birth Certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act; and

(xii) Ration Card

(b) If an applicant below the age of 18 years applies for a new passport under the Normal scheme and desires to obtain the passport on out of turn basis without paying the additional Tatkaal fees, he shall submit in addition to the Aadhaar Card/letter/e-Aaadhar containing the 12 digit Aadhaar number/28-digit Aadhar Enrolment ID printed on the Aadhar Enrolment Slip issued by the Unique Identification Authority of India (UIDAI), any one of the following three documents, namely:—

(i) Student Photo Identity Card issued by an Educational Institution;

(ii) Birth Certificate issued under the Registration of Births and Deaths Act; and

(iii) Ration Card.

(c) Post Police Verification shall be done in all cases of issue of passport under this Scheme.

(d) There shall be no additional fee payable by the passport applicant to avail this Scheme.

(e) If such an applicant seeks to obtain passport under Tatkaal Scheme by paying the prescribed additional Tatkaal fee, the application shall be processed by the Passport Issuing Authority under the Tatkaal scheme as the applicants applying under the Tatkaal Scheme shall be given priority in getting appointments and in the printing of passports.

[F. No. VI/401/1/4/2013]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (PSP) & Chief Passport Officer (CPO)

Foot Note : The Passports Rules, 1980 were published *vide* Notification Number G.S.R. 691(E) in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th December, 1980 and last amended *vide* Notification Number G.S.R. 1366(E), dated 03-11-2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.01.18 20:09:08 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.